06.6.24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रकरण दर्ज हुए 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। इस अवधि में प्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जो यह प्रमाणित करे कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा की नितांत आवश्यकता

3

Scanned with CamScanner

हो। इस प्रकार प्रकरण में वर्णित भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य 10 वर्ष की अवधि में किसी प्रकार का विवाद होने का तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हैं लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा ग्राम खिमेल स्थित भूमि हाल खसरा नं. 551 से 556 व 571 कुल रकबा 12.24 हेक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली